यह महसूस किया गया कि चूंकि यह संस्थान कोयला खान कर्मचारियों की समस्याओं से सम्बन्धित कार्य की देखरेख कर रहा है, इसलिए यदि इस मामले में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् से परामर्श ले लिया जाए तो ठीक होगा क्योंकि यह परिषद् अहमदाबाद में पहले ही राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान का संचालन कर रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने उक्त संस्थान में एक विशेषज्ञ दल भेजा और उनकी रिपोर्ट के आधार पर परिषद् ने इस मंत्रालय को यह सूचित किया कि यद्यपि संस्थान के स्थान और उसमें साज-सामान की सुलभता को देखते हुए विशेषज्ञ दल सन्तुष्ट है, तथापि अनुसंधान कार्य और उसमें नियुक्त स्टाफ की क्वालिटी के बारे में उन्होंने काफी टीका-टिप्पणी की है। अतः परिषद् ने इस संस्थान को अपने अधिकार में लेना संभव नहीं पाया।

इस मामले पर इस मंत्रालय में अप्रैल, 1977 में आगे विचार किया गया और इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संस्थान को चाहिए कि वह बिहार सरकार के माध्यम से अपना प्रस्ताव भजे। यदि राज्य सरकार 50 प्रतिशत आवर्ती खर्च व स्थायी आधार पर वहन करने के लिए सहमत हो गई तो भारत सरकार द्वारा इस मामले पर फिर से विचार किया जाएगा परन्तु राज्य सरकार से आवश्यक प्रस्ताव नहीं मिले हैं।

Expert Group on use of Antibiotics

641. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given to USQ No. 6279 on the 4th August, 1977 regarding expert group on use of antibiotics and state:

(a) whether the expert group has submitted any report;

(b) if so, whether the said report will be laid on the Table; and

(c) if not, when the report is likely to be submitted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No. The group has yet to meet.

(b) Does not arise.

(c) As the expert group has yet to meet, it is not possible at this stage to say when the report will be submitted.

दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में तकनीशियनों की संख्या

642. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में तकनीशियनों (टेलीफोन मकैनिकों) की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है और इस समय कितने व्यक्ति वास्तविक रूप से काम पर लगे हुए हैं, और उन तकनीशियनों सहित जो दूसरे टेलीफोन सर्किलों में प्रतिनियक्ति पर गये हैं, प्रत्येक एक्सचेंज में कितने पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) इन रिक्त पदों को शीघ्रता-शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ;

(ग) क्या दिल्ली में टेलीफोन-सुविधाओं में बड़े पैमाने पर किये गये या निकट भविष्य में किये जाने वाले

विस्तार संबंधी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में तकनीशियनों के और पदों का सृजन करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई): (क) (i) तकनीशियनों (टेलीफोन मेकेनिकों) की कुल मंजूर संख्या 1040

(ii) प्रतिनियुक्ति तकनीशियनों के अतिरिक्त कार्यरत तकनीशियनों की संख्या 1018

(iii) खाली जगहें . 22

(iv) अन्य टेलीफोन सर्किलों में प्रतिनियुक्ति पर . 19

एक्सचेंजवार स्थिति अनुबन्ध I में दिखाई गई है। [**मंत्रालय में रखा गया देखिये** संख्या एल टी 1072 / 77]

(ख) मौजूदा कमी पूरी करने और संभावित नये पदों के लिए तकनीशियनों की भर्ती करने की कार्रवाई की गई हैं और इस समय 138 तकनीशियन प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनका प्रशिक्षण 31-7-78 तक पूरा होने की संभावना है। प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर इन्हें तकनीशियनों के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा।

(ग) जी हां, करीब 14 पद बनाए जाने की संभावना है।

(घ) इसके ब्यौरे अनुबन्ध II में दे दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखये** संख्या एल टी 1072/77]

Settlement of Labour Disputes

643. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether he has solved all the labour problems and disputes referred to him till October, 1977;

(b) if so, how many of them are still under negotiation;

(c) in how many cases the settlement has been reached; and

(d) whether these settlements have eased the labour unrest that was prevailing in the beginning of the year?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (d). Union Labour Minister was able to bring about amicable settlements in all the seven disputes in which he personally intervened.

Stoppage of Over-Billing and Call-Pilferage

644. SHRI SUSHIL KUMAR DHARA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the steps being taken by the Ministry to ease the difficulty being faced by the telephone subscribers for over-billing and requiring them to pay for alls which they never makes;

(b) what are the difficulties in providing a metre for recording calls to each subscriber rather than the metres being installed in the exchanges and reading done in the same way as electric metres; and

(c) till such provision is not made, how will the Government ensure accurate metre readings and stopping over-billing and call-pilferages by certain telephone staff?